संख्या-60/2025/1703/2025/1897534/12-2099/62/2025

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकः 24 दिसम्बर, 2025

विषयः- बासमती सीड प्रोसेसिंग फैसीलिटी कम ट्रेनिंग सेन्टर एण्ड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग कम डेमो फार्म की स्थापना हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, टांडा, बिजेसी, जनपद-पीलीभीत की भूमि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को 70 वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एस0एफ0/842-जी/एल0टी0/2025-26 दिनांक 10-09-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बासमती सीड प्रोसेसिंग फैसीलिटी कम ट्रेनिंग सेन्टर एण्ड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग कम डेमो फार्म की स्थापना हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, टांडा, बिजेसी, जनपद-पीलीभीत की भूमि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को 70 वर्ष की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बासमती सीड प्रोसेसिंग फैसीलिटी कम ट्रेनिंग सेन्टर एण्ड आर्गेनिक ट्रेनिंग कम डेमो फार्म की स्थापना हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, टांडा, बिजेसी, जनपद-पीलीभीत, कुल क्षेत्रफल 27.00 हे0 (66.71 एकड़) के कृषित क्षेत्रफल में से प्रथम चरण में 07 एकड़ भूमि 30 वर्ष की लीज पर कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को दी जायेगी, जिसको आवश्यकतानुसार क्रमशः 30 वर्ष एवं 10 वर्ष के लिए नवीनीकृत करते हुए लीज की अधिकतम सीमा 70 वर्ष तक होगी। भूमि का लीज रेंट रू० 10/- (रूपये दस मात्र) प्रति वर्ष लिया जायेगा। लीज पर दी जाने वाली भूमि के लिए रू० 100/- प्रति एकड़ का एकमुश्त रियायती प्रीमियम लिया जायेगा।

3. लीज अवधि समाप्ति पर कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा प्रक्षेत्र भूमि का समस्त भार से मुक्त (इनकम्ब्रेंस फ्री) तथा तत्समय परिसम्पत्तियों सहित भूमि राज्य सरकार को वापस कर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. लीज डीड जिला कृषि अधिकारी, पीलीभीत एवं जनरल मैनेजर, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी। लीज डीड/भू-हस्तान्तरण विलेख में भूमि का गाटावार विवरण का समावेश किया जायेगा। लीज डीड की शर्तों व प्रारूप को मा० कृषि मंत्री जी के अनुमोदन से अन्तिम रूप दिया जायेगा।

5. इस सेन्टर के निर्माण में होने वाला व्यय व सेन्टर का संचालन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा किया जायेगा।

कृपया प्रकरण में तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या-60/2025/1703(1)/2025/1897534/12-2099/62/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार।
(2) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, कृषि भवन, लखनऊ।
(4) संयुक्त कृषि निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली।
(5) उप कृषि निदेशक, पीलीभीत।
(6) जिला कृषि अधिकारी, पीलीभीत।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।